**संख्या- 135 /2026 /939 /चार-2026-1838041**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2026**

विषय:- जनपद अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कोल में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय परिसर में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की 06 फीट कांस्य (ब्रांज) खड़ी प्रतिमा लगाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4844/सं0नि0-25(1)/2024-25, दिनांक 23 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कोल में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय परिसर में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की 06 फीट कांस्य (ब्रांज) खड़ी प्रतिमा लगाये जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0 6.60 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**2.** उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कोल में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय परिसर में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की 06 फीट कांस्य (ब्रांज) खड़ी प्रतिमा निर्माण पर होने वाले **व्यय धनराशि रू0 6.60 लाख (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(1)** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(2)** मूर्ति निर्माण विषयक संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-138/चार-2001-6(20)/90 टी0सी0 दिनांक 24.12.2001 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

**(3)** निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

**(4)** प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।

**(5)** मूर्ति का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

**(6)** प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

**(7)** उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(8)** स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

**(9)** बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

**(10)** उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

**(11)** यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। उपयोग की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(12)** चालू वित्तीय वर्ष में मूर्ति निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

**3.** उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04- कला तथा संस्कृति- 106- संग्रहालय- 09- महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

**4.** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।